"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2006—माघ 24, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी, 2006 (माघ 24, 1927)

क्रमांक-1741/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2006), पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2006

वित्तीय वर्ष 2005-2006 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2006 है.

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिये राज्य की संचित निधि में से 376,67,99,294 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ छियत्तर करोड़ सड़सठ लाख निन्यानवे हजार दो सौ चौरानबे रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत् वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	100	100
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	100	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,12,00,000	0	1,12,00,000
03	पुलिस	राजस्व	100	0	100
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	95,61,000	0	95,61,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	31,12,08,394	0	31,12,08,394
10	वन	राजस्व	6,15,00,000	0	6,15,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	14,00,00,000	0	14,00,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	8,38,000	0	8,38,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	7,24,400	0	7,24,400
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	0	16,56,000	16,56,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	8,21,000	0	8,21,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
27	स्कूल शिक्षा	पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	3,65,00,000	42,70,000	4,07,70,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	19,78,00,000	0	19,78,00,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	0	5,50,000	5,50,000
36	परिवहन	राजस्व	4,80,000	0	4,80,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	28,20,04,000	0	28,20,04,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	1,54,000	0	1,54,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	12,94,000	0	12,94,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	13,80,59,000	0	13,80,59,000
		पूंजी	9,50,000	0	9,50,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	13,00,000	0	13,00,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व	3,31,34,000	0	3,31,34,000
		पूंजी	85,35,000	0	85,35,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	2,25,60,000	0	2,25,60,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	200	0	200
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	22,17,00,000	0	22,17,00,000
	योग	**राजस्व**	**1,38,82,78,094**	**64,76,100**	**1,39,47,54,194**
		पूंजी	**2,37,20,45,000**	**100**	**2,37,20,45,100**
	वृहद योग		**3,76,03,23,094**	**64,76,200**	**3,76,67,99,294**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 10 फरवरी, 2006

अमर अग्रवाल
वित्त मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.